कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/3135 दिनांक : 02.09.2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन एवं ई–नीलामी आमंत्रण बाबत सूचना फेज–XII

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आबकारी नीति 2021–22 के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम **एम.एस.टी.सी.** लिमिटेड के माध्यम से ई–नीलामी (ई–बोली) आयोजित की जा रही है। अभी तक 11 फेज में नीलामी सम्पन्न हो चुकी है।
2. विभिन्न जिलों में पडत/बेक आउट कम्पोजिट मदिरा दुकान के पुनः बन्दोबस्त के लिये दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राईस व कम्पोजिट फीस विभागीय बेवसाईट https://www.rajexcise.gov.in पर दर्शित है। दर्शाई गई "न्यूनतम रिजर्व प्राईस" वार्षिक (12 माह के लिए) है। वास्तविक गारंटी राशि की गणना अनुज्ञापत्र हेतु जारी स्वीकृति की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जाऐगी।
3. आवेदन शुल्क पूर्वानुसार "मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस" के अनुसार ही रहेगा।
4. **अमानत राशि–** आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021–22 के बिन्दु संख्या 2.7 में अमानत राशि के बारे में प्रावधान किये गये है। परन्तु किसी भी फेज में एक बार यदि किसी कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिए बोलीदाता द्वारा बेकआउट किया गया है तो ऐसी कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए बोलीदाता द्वारा बेकआउट किया गया है तो ऐसी कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए निम्नलिखित प्रकार से अमानत राशि निर्धारित की जाती है। शेष दुकानों के लिए अमानत राशि पूर्ववत रहेगी।

श्रेणी	अमानत राशि (रू.)
वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये तक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	2,00,000
वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	3,00,000
वर्ष 2021–22 के लिए 2 करोड़ रूपये से अधिक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	5,00,000

5. फेज–**XII** में निम्नलिखित तिथि अनुसार ई–नीलामी (ई–बोली) आमंत्रित की जाती है :–

क्र.स.	नीलामी की दिनांक	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	08.09.2021	07.09.2021

नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

6. **आवेदनः–** फेज–**XII** के लिए आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 04.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ है तथा निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. तक चालू रहेगी।
7. यदि आवेदक द्वारा दिनांक 12.02.2021 के पश्चात् **https://www.mstcecommerce.com** पर पंजीकरण कराया है तो उन्हे पृथक से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही रहेगी। पूर्व में आवंटित यूजर आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से ई–नीलामी हेतु आवेदन कर सकते है। यदि पूर्व में पंजीकरण नही कराया है तो **https://www.mstcecommerce.com** पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते है।

8. सफल बोलीदाता H1 के किसी कारण से बैकआउट होने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता H2 को सफल बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारन्टी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता H2 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जावेगी।

   H2 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमती नही देने पर उसे उसकी स्वंय द्वारा बोली गई कीमत H2 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जावेगा। यदि इस कीमत पर भी H2 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर H3 को क्रमशः H1 एवं H2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित वार्षिक गारन्टी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतु अवसर दिया जायेग।

   तृतीय उच्चतम बोलीदाता H3 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जावेगी। H3 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमती नही देने पर उसे उसकी स्वंय द्वारा बोली गई कीमत H3 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जावेगा। यदि इस कीमत पर भी H3 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

9. सफल बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण धरोहर राशि दिनांक 14.09.2021 तक जमा करानी होगी।
10. सफल बोलीदाता को **"निर्धारित अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि"** एवं **"निर्धारित कम्पोजिट फीस की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि "** दिनांक 17.09.2021 तक जमा करानी होगी।
11. एम.एस.टी.सी. हेल्प–डेस्क पर कार्यालय समय में मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
12. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी.लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

क्रमांकः प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/3135 दिनांक : 02.09.2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान।
3. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें एवं एम.एस.टी.सी. को सूचित करे।
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान।
6. ब्रांच मेनेजर, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. अनुभाग, उदयपुर/ श्री नारायण सिंह बिष्ट, प्रोग्रामर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें एवं एम.एस.टी.सी. को सूचित करे।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन समस्त.....।
9. जिला आबकारी अधिकारी समस्त.....।

आबकारी आयुक्त
राजस्थान उदयपुर